बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आ0 सं०–22/नि०सि०(भाग0)–09–07/2017 27 पटना, दिनांक 28-02-2024

आदेश

श्री रविन्द्र कुमार सिंह (आई0डी0–जे 8300), तत0 कनीय अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, शिवनारायणपुर के विरूद्ध बटेश्वर स्थान गंगा पम्प नहर परियोजना के उच्च स्तरीय मुख्य नहर के वि0दू0 5.35 एवं वि0दू0 10.02 पर रहे रिसाव को रोकने हेतु कोई कार्रवाई नहीं करने, हो रहे रिसाव के तथ्य को वरीय पदाधिकारियों को छिपा के रखने एवं उक्त के कारण हजारो हेक्टेयर जमीन में सिंचाई कार्य बाधित होने तथा सरकार को भारी आर्थिक क्षति पहुँचाने संबंधी आरोपों के लिए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए स्पष्टीकरण पूछा गया। उक्त स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर के समीक्षोपरांत मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर से मंतव्य की मांग की गयी। मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये अपने मंतव्य में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। फलतः सम्यक् समीक्षोपरांत पाया गया कि मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक–05 कैम दिनांक–21.09.2017 द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में अंकित है कि ऐसा ज्ञात हुआ है कि पूर्व में भी इस स्थल में रिसाव हुआ था। आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में अंकित है कि नहर के रिसाव को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी और तथ्यों को छिपाने के चलते नहर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे हजारों हेक्टेयर जमीन में सिंचाई कार्य बाधित होने के साथ–साथ सरकार को आर्थिक क्षति पहुँची एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन के पूर्व ही नहर क्षतिग्रस्त होने से सरकार की छवि भी धूमिल हुई। इस तथ्य की समीक्षा का अभाव मुख्य अभियंता द्वारा गठित समिति के मंतव्य में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। फलतः मुख्य अभियंता द्वारा गठित समिति की मंतव्य से सहमत नहीं हुआ जा सकता है।

अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आलोक मे मामले की विस्तुत जाँच हेतु श्री रविन्द्र कुमार सिंह (आई0डी0–जे 8300), तत0 कनीय अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, शिवनारायणपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री सिंह के दिनांक–30.11.2023 को सेवानिवृत हो जाने के कारण उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश सं0–118–सह–पठित ज्ञापांक–1962 दिनांक–28.12.2023 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में अप्रमाणित आरोपों के विरूद्ध असहमति के बिंदु का निर्धारण किया गया। उक्त असहमति के बिंदु के आधार पर आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर) समर्पित करने का निदेश दिया गया। तदालोक में

आरोपित पदाधिकारी श्री अविन्द्र कुमार सिंह द्वारा उपलब्ध कराए गए लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर) का समीक्षा निम्नवत् है :–

आरोप :– दिनांक–19.09.2017 को बटेश्वर स्थान गंगा पम्प नहर परियोजना उच्च स्तरीय मुख्य नहर के वि0दू0 5.35 एवं वि0दू0 10.02 पर हो रहे रिसाव को रोकने हेतु आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी एवं हो रहे रिसाव की तथ्य को वरीय पदाधिकारियों से छिपा कर रखा गया, जिसके चलते नहर क्षतिग्रस्त हो गया एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक–20.09.2017 को उक्त परियोजना का उद्घाटन नहीं किया जा सका। बाँध के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण हजारों हेक्टेयर जमीन में सिंचाई कार्य बाधित हो गया एवं सरकार को भारी आर्थिक क्षति पहुँची एवं इससे सरकार की छवि भी धूमिल हुई। मुख्य अभियंता, सिंचाई प्रशासन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के प्रतिवेदनानुसार उक्त स्थल पर पूर्व में भी रिसाव हुआ था, जिसकी सूचना आपके द्वारा वरीय पदाधिकारियों को नहीं दी गयी थी। ज्ञातव्य है कि दिनांक–20.09.2017 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उक्त परियोजना का उद्घाटन किया जाना था, इस तथ्य के संज्ञान में रहने के बावजूद आपके द्वारा उक्त बाँध का सतत् पर्यवेक्षण नहीं किया गया, जिसके चलते रिसाव को रोकने के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य :– आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

असहमति का बिन्दु :–संचालन पदाधिकारी के द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि नहर बाँध टूटने के पूर्व प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम के कारण मुख्य अभियंता से लेकर सभी क्षेत्रीय अभियंता कहलगाँव में कैम्प किये हुए थे। जबकि कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचित किया गया कि वे इस रिसाव की जानकारी मोबाईल नेटवर्क की समस्या के कारण उच्चाधिकारियों को नहीं दे पाये। जबतक वैकल्पिक कदम उठाते नहर तटबंध टूट गया। जब सभी क्षेत्रीय अभियंता कहलगाँव में कैम्प कर रहे थे तब मोबाइल पर सूचना दिये जाने का क्या औचित्य था ? इससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा उक्त बाँध का सतत् पर्यवेक्षण नहीं किया तथा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई, जिसके लिए आप दोषी परिलक्षित होते है।

आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर :–

आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर में प्रतिवेदित किया गया है कि मेरा पदस्थापन गंगा पम्प नहर अवर प्रमंडल पीरपैती में था। जिसका कार्यक्षेत्र उच्चस्तरीय मुख्य नहर के वि०दू० 10.00 से 15.60 एवं हरिश्चन्द्रपुर वितरणी के वि०दू० 0.00 से 69.10 तक है।

प्रस्तावित उद्घाटन के क्रम में दिनांक 18.09.2017 को उच्चस्तरीय मुख्य नहर में ट्रायल हेतु जलश्राव दिया गया। दिनांक 18.09.2017 को मेरे कार्यक्षेत्र में नहर में कहीं भी रिसाव नहीं था। उक्त तिथि को मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा संयुक्त रूप से उच्चस्तरीय मुख्य नहर के वि०दू० 29.70 एवं शाखा नहर 02 के वि०दू० 8.20 तथा हरिश्चन्द्रपुर वितरणी के वि०दू० 3.50 तक निरीक्षण किया गया। जिसका पूर्व में दिनांक 15.06.2022 को संचालन पदाधिकारी के समक्ष स्पष्टीकरण दिया गया है। अगर नहर में रिसाव पाया जाता तो निश्चित रूप से वरीय पदाधिकारी के संज्ञान में आता ।

पुनः दिनांक 19.09.2017 को उच्चस्तरीय मुख्य नहर में पम्प हाउस 01 से Full Discharge में जलश्राव प्रवाहित किया जाने लगा। दिनांक 19.09.2017 को अधीक्षण अभियंता द्वारा मोबाइल पर सूचित किया गया कि पम्प हाउस नं०–01 पर मुख्य अभियंता के समक्ष आये। तदनुसार मुख्य अभियंता के समक्ष पम्प हाउस नं०–01 पर आया। मुख्य अभियंता द्वारा निर्देशित किया गया कि आप ब्रॉंच केनाल के वि०दू० 8.20 पर एवं हरिश्चन्द्रपुर वितरणी के वि०दू० 0.00 पर जमें मिट्टी को Jcb लेकर हटवाये।

जिसका मैने अक्षरशः पालन किया। संध्या 4.45 बजे कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल शिवनारायणपुर द्वारा मोबाईल पर सूचना दी गई कि Jcb लेकर तुरन्त उच्चस्तरीय मुख्य नहर के वि०दू० 5.35 पर आये, नहर क्षतिग्रस्त हो गया है। ज्ञातव्य है कि जिस बिन्दु पर नहर बाँध क्षतिग्रस्त हुआ था, मेरे कार्यक्षेत्र में नही था। फिर भी उच्चाअधिकारी के आदेश का अक्षरशः पालन किया जिसका स्पष्टीकरण मेरे द्वारा दिनांक 15.06.2022 को संचालन पदाधिकारी के समक्ष दी गई थी।

मेरे द्वारा सतत् निगरानी एवं उच्चाधिकारी के आदेश का पालन पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ किया। ये आरोप कि मेरे द्वारा उक्त बाँध का सतत पर्यवेक्षण नही किया गया तथा अपने कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरती गई, के आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय।

समीक्षा :–आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर में उक्त आरोप के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि उनका पदस्थापन गंगा पम्प नहर अवर प्रमंडल, पीरपैंती में था जिसका कार्यक्षेत्र उच्चस्तरीय मुख्य नहर के वि०दू० 10.00 से वि०दू० 15.60 एवं हरिश्चन्द्रपुर वितरणी के वि०दू० 0.00 से वि०दू० 69.10 तक है। स्पष्ट है कि दिनांक 19.09.2017 को उच्चस्तरीय मुख्य नहर के वि०दू० 10.02 पर हुए रिसाव आरोपी पदाधिकारी के कार्यक्षेत्र के अधीन था, जिसकी सुरक्षा का दायित्व आरोपी पदाधिकारी पर था। जिसके लिए, आरोपी पदाधिकारी जिम्मेवार प्रतीत होते है। विदित हो कि बटेश्वर स्थान गंगा पम्प नहर परियोजना के उच्चस्तरीय मुख्य नहर के वि०दू० 5.35 एवं वि०दू० 10.02 पर दिनांक 19.09.2017 को रिसाव हुआ था।

अतएव, उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित परिलक्षित होता है।

निष्कर्ष :–आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर तथा उपर्युक्त समीक्षा के आलोक में श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होता है।

उपर्युक्त समीक्षा एवं निष्कर्ष के आलोक में प्रमाणित पाये गये आरोप के संदर्भ में श्री रविन्द्र कुमार सिंह (आई0डी0–जे 8300), तत0 कनीय अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, शिवनारायणपुर सम्प्रति सेवानिवृत कनीय अभियंता के विरूद्ध निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है :–

"बीस प्रतिशत पेंशन की कटौती दो वर्षो के लिए"।

अतएव उपर्युक्त वर्णित स्थिति में श्री रविन्द्र कुमार सिंह (आई0डी0–जे 8300), तत0 कनीय अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, शिवनारायणपुर के विरूद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करते हुए उन्हें संसूचित किया जाता है :–

"बीस प्रतिशत पेंशन की कटौती दो वर्षो के लिए"।

ह0/–
(बिनय कुमार सिन्हा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक– 375 / पटना, दिनांक– 28-02-2024

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)/शेष सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर/शेष सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग/सभी उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग/सभी अवर सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बाँका/कार्यपालक अभियंता (आई0टी0) आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–7, 8 9, 12 एवं 22 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ श्री रविन्द्र कुमार सिंह (आई0डी0–जे 8300), तकनीय अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, शिवनारायणपुर सम्प्रति सेवानिवृत ग्राम–फुलबरिया, पो0–शाहकुण्ड, जिला–भागलपुर, पिन–813108 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/24

सरकार के उप सचिव